



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17092021-229750
CG-DL-E-17092021-229750

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3495]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 17, 2021/भाद्र 26, 1943

No. 3495]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 17, 2021/ BHADRA 26, 1943

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 2021

का.आ. 3807(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से, प्रतापगढ़ (NH731A) के कि.मी 35 से 64.682 उत्तर प्रदेश राज्य तक के पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन में उन्नयन हेतु उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गावों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-NH731A पर भूमि का अधिग्रहण

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	सख्यम प्राधिकारी / मुख्य राजस्व अधिकारी, प्रतापगढ़	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH731A के कि.मी. 35 से 64.682 तक	उत्तर प्रदेश	प्रतापगढ़	कुंडा	1 इब्राहिमपुर
						2 तिवारीपुर
						3 सरियांवा
						4 सलेमपुर निदूरा
						5 रामपुर
						6 करमाजीत पट्टी
						7 देवर पट्टी
						8 टेकी पट्टी
						9 रामदास पट्टी
						10 सुनियांवा
						11 जमलामऊ
						12 कुड़ा
						13 बिहरिया
						14 वरना
						15 रसूलपुर उर्फ बहूपुर

[फा. सं. CE-RO/LKO/NH(O)/16/NH-731A/2020-21-PKG-II]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th September, 2021

S.O. 3807(E).— In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for upgradation to 2 laning with paved shoulders of km. 35 to 64.682 of CE-RO-OFFICE PRATAPGARH (NH731A) in the State of UTTAR PRADESH.

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No. NH731A in the State of UTTAR PRADESH.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Competent Authority/ Chief Revenue Officer, Pratapgarh	35KM To 64.682KM	UTTAR PRADESH	PRATAPGARH	Kunda	1	Ibrahimpur
						2	Tiwaripur
						3	Sariyawan
						4	Salempur Nidura
						5	Rampur
						6	Karmajeet Patti
						7	Dever Patti
						8	Teki Patti
						9	Ramdas Patti
						10	Suniyawan
						11	Jamlamau
						12	Kudha
						13	Biharia
						14	Barna
						15	Rasoolpur urf Badupur

[F. No. CE-RO/LKO/NH(O)/16/NH-731A/2020-21-PKG-II]

RAJESH GUPTA, Director